

राजस्व वाद 112/2020
जीसीएमएस नंबर 2020/00180
मूलाराम वगैरह पुत्र पीराराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 112/2020

वादीगण-

1. मूलाराम पुत्र पीराराम
 2. प्रहलाद पुत्र पीराराम
 3. रामचन्द्र पुत्र पीराराम
- जातियान-जाट निवासीगण-कठौती, तहसील जायल (नागौर)

बनाम


प्रतिवादीगण -

1. पीराराम पुत्र किशनाराम फौत क कायम मुकाम
(1) तुलछा देवी पत्नि स्व.पीराराम
2. सुगना पुत्री पीराराम
जातियान-जाट निवासीगण-कठौती, तहसील जायल (नागौर)
3. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नाथूराम ईनाणियां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित।



- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री नाथूराम ईनाणियां व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि -

यत् वादीगण का वाद अधीन धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कठौती तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरा नं. 985 के सहखातेदार मे मध्य माफिक सहमति एवं ईकबालिया जबाब तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 34 दिनांक 20.10.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी मूलाराम के हक बंट में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 985 रकबा 4.1440 हैक्टेयर में से 1.3095 हैक्टेयर मध्य भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

20/6/2021
सहायक कलेक्टर
(स.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 112/2020

जीसीएमएस नंबर 2020/00180

मूलाराम वगैरह पुत्र पीराराम वगैरह

2. वादी प्रहलाद के हक बंट में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 985 रकबा 4.1440 हैक्टेयर में से 1.3095 हैक्टेयर भूमि पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी प्रहलाद के हक बंट में मौजा कठौती का खेत खसरा नंबर 985 रकबा 4.1440 हैक्टेयर में से 1.3095 हैक्टेयर भूमि पूर्वी भाग नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. वादीगण ने खसरा नंबर 985 रकबा 4.1440 हैक्टेयर के दक्षिणी दिशा में 0.2155 हैक्टेयर भूमि माफिक नजरी नक्शानुसार संयुक्त बंट में रास्ते के रूप में रखी है।
5. प्रतिवादी तुलछादेवी व सुगना के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखी गयी है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाया जाना न्यायसंगत/उचित है।

20/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर ए.के.ए. प्रदीप सिंह अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिंग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/10/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये
दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

20/10/2021
(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर ए.के.ए. प्रदीप सिंह अधिकारी
जायल (नागौर)